समाचार

नियम विरूद्ध प्लाटिंग पर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही

(बिना अनुज्ञा किए जा रहे भूमि विकास कार्य को तत्काल रोकने, दी गई नोटिस)

कोरबा 15 दिसम्बर 2020 —बिना अनुमति प्राप्त किए भूमि स्थल का विकास करने, अवैध रूप से प्लाटिंग करने पर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। निगम ने पावर हाउस रोड साकेत नगर कोरबा राजवाड़े काम्पलेक्स के पीछे स्थित भूमि का बिना अनुमति किए जा रहे विकास कार्य को तत्काल रोकने के लिए संबंधित को नोटिस जारी किया है।

नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए मनमाने तौर पर भूमि का विकास करने, प्लाटिंग करने पर एक ओर जहां कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचायी जाती हैं। बिना अनुमति प्राप्त किए भूमि का विकास व प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में पावर हाउस रोड कोरबा साकेत नगर में राजवाड़े काम्पलेक्स के पीछे स्थित भूमि का बिना अनुमति विकास करने पर निगम द्वारा नोटिस जारी कर कार्य को तत्काल रोकने के निर्देश संबंधित को दिए गए हैं। श्री माधव साहू एवं अन्य द्वारा उक्त स्थल में लगभग एक एकड़ क्षेत्रफल में भूमि का विकास कार्य बिना सक्षम अनुज्ञा के किया जा रहा है, जो कि कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन हैं।

अनुज्ञा हेतु वैध प्रकरणों को ही आनलाईन अपलोड करें— निगम द्वारा पंजीकृत वास्तुविदों, संरचना इंजीनियरों आदि से कहा गया है कि वे भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक दस्तावेज के पूर्ण होने पर ही भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन आनलाईन अपलोड करें, ऐसे अनेकों प्रकरण सामने आ रहे हैं कि अवैध प्लाटिंग भूखण्डों में भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन आनलाईन अपलोड किए जा रहे हैं। कई प्रकरणों में सार्वजनिक पहुंच मार्ग के बिना अवैध प्लाटिंग अंतर्गत भूमि को टुकड़ों में विभक्त कर क्रय विक्रय किए गए भूखण्डों में भी मानचित्र बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि कालोनाईजर एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। वास्तुविदों, आर्किटेक्टों को दिशा निर्देश देते हुए निगम द्वारा कहा गया है कि निगम के लीज पर आबंटित भूखण्डों, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्यास/जारी विकास अनुज्ञा की भूमियों, कालोनाईजरों द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त कर निर्मित निजी आवासीय/व्यवसायिक कालोनियों/व्यवसायिक भूखण्डों, घनी आबादी मध्य घोषित क्षेत्र के भूमि तथा सार्वजनिक पहुंच मार्ग में स्थित भूमि, भूखण्डों में ही स्वीकृत योग्य आवेदनों को ही आनलाईन अपलोड करें, ताकि भवन अनुज्ञा के नियमानुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण समयसीमा पर किया जा सके।